न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कुचामनसिटी जिला नागौर(राज0)

वादी	बनाम	प्रतिवादी
शंकरसिंह पुत्र बिरदीसिंह जाति रावणा राजपूत सा. कुकनवाली तहसील कुचामनसिटी		राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार कुचामनसिटी

राजस्व वाद — वाद रेकर्ड दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 88 R.T.Act1955 एवं 136 R.L.Act1956 शुद्धि बाबत

वाद–पत्र नम्बर 227 /2023 GCMS No. 2023/ 373

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिलियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए
10.07.2023	वादी/प्रार्थी शंकरसिंह पुत्र बीरदीसिंह जाति रावणा राजपूत सा. कुकनवाली तहसील कुचामनसिटी द्वारा "प्रशासन गांवो के संग अभियान–2023 राहत शिविर" के दौरान प्रस्तुत किया। वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रकरण की जांच रिपोर्ट तहसीलदार कुचामनसिटी द्वारा इस न्यायालय को प्रेषित की। वाद/प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर चालू जमाबन्दी नकल सम्वत 2074–2077 ग्राम **कुकनवाली** पटवार मण्डल **कुकनवाली** तहसील कुचामनसिटी के खाता नम्बर **404** प्रस्तुत कर कथन किया है। वादी/प्रार्थी के नाम की राजस्व रेकार्ड में प्रविष्टि **शंकरसिंह पुत्र बीरदा जाति रावणा राजपूत सा. देह खातेदार** दर्ज है, जो कि अशुद्व है। वादी/प्रार्थी का शुद्व **शंकरसिंह पुत्र बीरदीसिंह जाति रावणा राजपूत सा. देह खातेदार** है तथा इसी अनुसार राजस्व रेकार्ड में शुद्व प्रविष्टि दर्ज करने का निवेदन किया है। जिसके लिए बतौर साक्ष्य स्वरूप वादी द्वारा आधार कार्ड, पेन कार्ड, की छाया प्रति इत्यादि प्रस्तुत की है। इस संबंध में हल्का पटवारी **कुकनवाली** भू.अ.नि. **कुकनवाली** तहसीलदार कुचामनसिटी से रिपोर्ट तलब की गई, रिपोर्ट में इन्होने वादी का उपरोक्तानुसार नाम एवं प्रविष्टि शुद्व किये जाने की अनुशंषा की है। उपलब्ध दस्तावेजात इत्यादि से वादी का नाम शुद्व किये जाने योग्य है जिसकी पुष्टि उपलब्ध उपरोक्त दस्तावेजात, पटवारी हल्का, नि.भू.अ., तहसीलदार कुचामनसिटी की रिपोर्ट से साबित है। अतः वादी का वाद–पत्र स्वीकार किया जाकर उपरोक्तानुसार राजस्व रेकर्ड में शुद्व प्रविष्टि किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है। डिक्री पर्चा भरा जाकर शामिल मिसल किया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से [illegible] हो। Signature Not Verified Digitally signed by Manoj Date: 2023.07.26 12:16:21 IST Reason: SelfAttested उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर)	